

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 371]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई 2022—आषाढ़ 23, शक 1944

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2022

क्र. एफ 2-13-22-होसेप्र- पी.एस.जी.- 16 - मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् -

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएं -**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पद नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
16.18	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत लोक प्रयोजन के दृष्टिगत सड़क काटने की सशर्त अनुमति	महाप्रबंधक, (म.प्र.ग्रा.स. वि.प्रा.)	30 कार्य दिवस	मुख्य महाप्रबंधक, (म.प्र.ग्रा.स. वि.प्रा.)	15 कार्य दिवस	प्रमुख अभियंता, (म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा)
16.19	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत लोक प्रयोजन के दृष्टिगत सड़क काटने की सशर्त अनुमति	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	30 कार्य दिवस	अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	15 कार्य दिवस	मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
16.20	ग्राम पंचायत अंतर्गत लोक प्रयोजन के दृष्टिगत सड़क काटने की सशर्त अनुमति	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	सी.ई.ओ. जिला पंचायत	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

528/P-729511/2022/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.- 15 - मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद द्वारा परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् -

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत परिवहन विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पद नाम	सेवाएं प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
15.21	ड्रायविंग लायसेंस में अन्य श्रेणी का वाहन का जोड़ा जाना	क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
15.22	ड्रायविंग लायसेंस में पता परिवर्तन	क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त

15.23	ड्रायविंग लायसेंस से किसी वाहन श्रेणी को हटाया जाना	क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
15.24	ड्रायविंग लायसेंस में खतरनाक व संकटजनक माल परिवहन की श्रेणी इंडोर्स करना	क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
15.25	ड्रायविंग स्कूल खोलने हेतु लायसेंस	क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
15.26	ड्रायविंग स्कूल लायसेंस का नवीनीकरण	क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
15.27	अंतर्राष्ट्रीय ड्रायविंग परमिट	क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
15.28	अस्थायी पंजीयन जारी करना	क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
15.29	अस्थायी पंजीयन का नवीनीकरण	क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
15.30	अन्य राज्य के वाहन को मध्यप्रदेश राज्य का नया पंजीयन चिन्ह आवंटित करना	क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
15.31	लोक नीलामी में खरीदे गए वाहन का स्वामित्व अंतरण	क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त

क्रमांक 529-P-729561- इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. -- 48 :- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, संस्कृति विभाग अंतर्गत पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत संस्कृति विभाग अंतर्गत पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पद नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
48.1	अभिलेखों का अवलोकन करने संबंधी आवेदन पत्रों का निराकरण।	उप संचालक, अभिलेखागार	7 दिवस	संचालक/आयुक्त, पुरातत्व अभिलेखागार	15 दिवस	सचिव, संस्कृति, विभाग
48.2	अभिलेखों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने बावत।	उप संचालक, अभिलेखागार	7 दिवस	संचालक/आयुक्त, पुरातत्व अभिलेखागार	15 दिवस	सचिव, संस्कृति, विभाग

क्रमांक 530-P-729489- इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 09 - मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-2-13/2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 09 में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित सेवा क्रमांक 9.11 और 9.12 को विलोपित (डी-नोटिफाई) किया जाता है :-

डी-नोटिफाई

उक्त अधिनियम की अधिसूचित सेवाओं को -

- (1) सेवा क्रमांक 9.11- पेट्रोल डीजल विक्रय एवं भंडारण हेतु नवीन अनुज्ञप्ति जारी करना को विलोपित (डी-नोटिफाई) किया जाता है।
- (2) सेवा क्रमांक 9.12- पेट्रोल डीजल विक्रय एवं भंडारण हेतु नवीन अनुज्ञप्ति नवीनीकरण को विलोपित (डी-नोटिफाई) किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गिरीश शर्मा, उपसचिव.